संचिका संख्या– प्र08–गो0नि0–04/2012

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री नरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निलंबित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, दायित्वहीनता, पदीय शक्ति का दुरूपयोग एवं कदाचार कर भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हुए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने जैसे गंभीर आरोपों के प्रमाणित होने के आलोक में उन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक–2871 दिनांक–15.05.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14(X) में उल्लिखित वृहद दण्ड के प्रावधानानुसार सेवा से बर्खास्त किया गया ।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा दायर समादेश याचिका संख्या–608/2019 नरेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–26.09.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कार्यकारी कंडिका निम्नवत् है :–

15. This is the 3rd round of litigation at the instance of the petitioner. The authority right from the Enquiry Officer upto the appellate authority have been committing procedural lapses and, as a result of the same, the petitioner has been restrained from discharging his official duties illegally by the respondent authorities.

16. Having regard to the aforesaid submissions, this Court would direct that the petitioner be reinstated forthwith along with all consequently benefits.

17. The respondents should be at liberty to proceed against the petitioner, if the law so permits.

18. The writ application is allowed.

3. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध LPA दायर किये जाने के बिन्दु पर स्पष्ट विधिक परामर्श प्राप्त नहीं होने के आलोक में विभाग स्तरीय अधिकार समिति की दिनांक 15.09.2020 को सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

(क) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 608/2019 में पारित आदेश का अनुपालन किया जाय।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 608/2019 में पारित आदेश की कंडिका–17 के आलोक में विभागीय कार्यवाही हेतु निर्गत ज्ञाप संख्या–1343 दिनांक 01.03.2013 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए द्वितीय कारणपृच्छा की माँग की जाय।

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में विभाग स्तरीय गठित अधिकार समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय निम्नवत् है :–

(i) श्री नरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निलंबित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा का बर्खास्तगी आदेश ज्ञापांक–2871 दिनांक–15.05.2014 को निरस्त किया जाता है। साथ ही, विभागीय आदेश ज्ञापांक–1039 दिनांक 08.02.2014 द्वारा निर्गत आदेश जिसके तहत श्री प्रसाद को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा निर्धारित किया गया था, को पुनः स्थापित करते हुए निरस्त बर्खास्तगी आदेश की तिथि –15.05.2014 से निलंबित किया जाता है। निलंबन

अवधि में श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(ii) उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय ज्ञापांक 1343 दिनांक 01.03.2013 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम--18 के उपनियम--2 एवं 3 के प्रावधान के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

5. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

01/XII/XX
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक--प्र08--गो0नि0--04/2012-- 4578 खाद्य, पटना/दिनांक- 3/12/2020

प्रतिलिपि--मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव/महालेखाकार, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी--01, 03, 08/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निलंबित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुख्यालय--प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा (पता--श्री नरेन्द्र प्रसाद, पिता--स्व0 घीकुंडल साह, पो0+थाना-- नोखा, जिला--रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/XII/XX
सरकार के अपर सचिव।